

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.06.2021 जनपद देवरिया

01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 04 अभियोग पंजीकृत किये गए

कच्ची शराब के विरुद्ध दिनांक 29.05.2021 से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दबिश देकर काफी मात्रा में लहन व भट्टियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 03.06.2021 को जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन में से चलाए जा रहे अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 255 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना लार पुलिस द्वारा एक अदद वाहन पिकप से 12 राशि गोवंशीय पशु के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 31.05.2021 को थानाध्यक्ष लार मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान मेहरौना चेक पोस्ट तिराहे के पास से 01 अदद पिकप यूपी-52-टी-8342 से 12 राशि गोवंशीय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.हसनैन पुत्र पतरेंगा सा0 सुतावर थाना लार देवरिया बताया, उक्त के सम्बन्ध में थाना लार पुलिस द्वारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 03.06.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 09 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ **थाना लार** - मु0अ0सं0 140/2021 धारा 307,506 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-1.परवेज आलम पुत्र मो0 हयात सा0 गुठनी थाना गुठनी जनपद सिवान बिहार।

➡ **थाना सलेमपुर** - मु0अ0सं0 105/2021 धारा 379,411 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-1.सोनू कुमार पुत्र रमाशंकर 2.लाल साहब पुत्र रामदयाल 3.रियासत अंसारी पुत्र रामदयाल सा0 तुलसी थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया 4.कन्हैयालाल यादव पुत्र श्यामदेव यादव सा0 खखड़ी थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया इसी क्रम में मु0अ0सं0 106/2021 धारा 379,411 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-1.सोनू कुमार पुत्र रमाशंकर 2.लाल साहब पुत्र रामदयाल 3.रियासत अंसारी पुत्र रामदयाल सा0 तुलसी थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया 4.कन्हैयालाल यादव पुत्र श्यामदेव यादव सा0 खखड़ी थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 03.06.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 33 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 03.06.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 95 वाहनों से 99,000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।